



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2022045132897

DISTRICT NAME : हरियाणा SRO : हरियाणा, रोहतास

उपकरण संख्या

UKPDE2022045132897

20-Aug-2022

18:02:27

Appointment Date: 22 Aug 2022

Appointment Time: 12:30 p.m to 01:30 p.m

Appointment Taken No: 1

Mutation Office तहसील देहली

Deed/Mutatio Type : Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article : Sale (Residential Plot)

Village/Location For Index : अमरपुर पूर्व

Village/Location/Road Selected for Circle Release : अमरपुर पूर्व

Khasra : 330-क फि0 Khataoni : 2310

Khasra : 330-क फि0

House/Folio No:

Area : 117.0000 वर्ग मीटर

Latitude : 30.2930330000

Land Value : 1500000.00

Transaction Value : 1500000.00

Advance : 10.00

Stamp Duty : 86300.00

Paiding Fees : 100

Foreign Buyer Release Is Taken in Stamp Duty

Losses Remtd : 10.00

Region Fees : 25000.00

Page : 20

Avg. Rent : 0.00

आवक/विक्रय, निर्माण का विवरण

क्र.सं. निर्माण का प्रकार

आवक/विक्रय, निर्माण का विवरण

क्र.सं. निर्माण क्षेत्र

निर्माण का प्रकार

निर्माण क्षेत्र

क्र.सं.

निर्माण शुल्क का विवरण

क्र.सं. निर्माण क्षेत्र

निर्माण शुल्क का विवरण

निर्माण क्षेत्र

क्र.सं.

1. Cash

25000.00

0

सदामा शुल्क का विवरण

क्र.सं. निर्माण क्षेत्र

सदामा शुल्क का विवरण

सदामा शुल्क का विवरण

सदामा शुल्क का विवरण

1. e-Stamp

86300.00

0

20-Aug-2022

Pearvika Nevi

सदामा

Signature

Signature

E-STAMP CERTIFICATE No. IN-UK0134893743070U

5. यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि यह सम्बन्धित अभिलेखों से विक्रेता का नाम खरिद करवाकर अपना नाम वहाँ पर मालिक, स्वामी, दर्ज व अंकित करावे। नामांकन कार्यवाही में विक्रेता, क्रेता को पूर्ण सहयोग देगी।

6. यह कि यदि भविष्य में क्रेता को विक्रेता से सूची में वर्णित भूमि की बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अंकित करवाने अथवा बचान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेता, क्रेता के व्यय व अनुरोध पर करने के लिये बाध्य होगी।

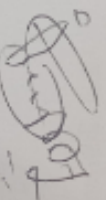
7. यह कि भविष्य में यदि विक्रीत की जा रही भूमि या उसका कोई भाग विक्रेता के किसी दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है तो उस दशा में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति क्रेता, विक्रेता से अथवा उसकी बल-अथवा सम्पत्ति से प्राप्ता करने की अधिकारी होंगी।

8. यह कि इस विक्रय विलेख में शब्द "विक्रेता" व "क्रेता" में उनके पारिस्मन, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि आदि समान रूप से सम्मिलित सम्झे जायेंगे।

वांछित विवरण

- (1) विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई विक्रय अनुबंध पत्र अंकित नहीं है।
- (2) विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है।
- (3) विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग के प्रावधानों से मुक्त है तथा विक्रीत भूमि की बाबत कोई सीलिंग विवाद लम्बित नहीं है।
- (4) विक्रीत भूमि में कोई मेल, वाउन्ट्रीवाल, ट्यूबवेल, बोरिंग, निर्माण आदि नहीं है।
- (5) विक्रीत भूमि मुख्य द्वारद्वार बाईपास रोड से एक किलोमीटर एवं अन्य मुख्य मार्गों से 350 मीटर से अधिक दूरी पर ग्राम आजबपुरखुर्द में स्थित है।
- (6) विक्रीत भूमि गगन निगम देहादून की सीमा के अन्दर स्थित है।
- (7) विक्रीत भूमि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है।
- (8) विक्रीत भूमि किसी मोलन फॉरेस्ट, चाय बागान, नदी, नाले, झील, या पौधोपेणसीधन का भाग नहीं है।
- (9) यह कि विक्रीत सम्पत्ति Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhnad Real Estate (Regulation & Development) (General Rule 2017) में 04 श्रेणियों में परिभाषित "Project" (Group Housing, Mixed Development Project, Residential, Commercial तथा Industrial Project), Commercial Project अथवा Plotted development Projects) से सम्बन्धित नहीं है और न ही एकराई द्वारा RERA Act 2016 के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है।

Pramila Negi



- (10) यह कि विक्रीत की जा रही भूमि का मूल्य क्लेक्चर देहरादून द्वारा निर्धारित सर्किल रेट मु0 10,000/- रुपये प्रति वर्ग मी0 की दर से मु0 11,70,000/- रुपये आती है, लेकिन क्रय की जा रही भूमि के उत्तर दिशा में 5 मीटर से अधिक एवं 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क होने के कारण विक्रय मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क मु0 59,000/- रुपये जोड़ने पर विक्रय मूल्य मु0 12,29,000/- (बारह लाख उनतीस हजार रुपये मात्र) आती है, परन्तु स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य मु0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) पर 3.75 प्रतिशत की दर से नियमानुसार मु0 56,300/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
- (11) यह कि क्रेता स्टाम्प शुल्क में प्रथम बार छूट प्राप्त कर रही है।
- (12) यह कि विक्रीत भूमि का अंशाग नम्बर 30.283033 एवं देशान्तर नम्बर 78.034212 है।
- (13) यह कि सूची में वर्णित भूमि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर मौजा अजबपुरखुर्द, देहरादून में स्थित है, जिस पर अधिनियम सं0 29 वर्ष 2003 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

सूची सम्पत्ति

भूमिवसी भूमि खता सं0 2310 (फसली वर्ष 1418-1421) खसरा नं0 330-क भि0 रकबा 1285 वर्गफीट अर्थात् 117 वर्गमीटर स्थित मौजा अजबपुर खुर्द, परगना पछवाड़, जिला देहरादून। (जिसे सलग्न मानचित्र में लाल रंग से घिरा दर्शाया गया है) जिसकी सीमायें व नाप निम्न प्रकार है-

पूरुब : भूमि अन्य, सीमा में नाप 37 फीट 6 इंच
पश्चिम : भूमि श्री किमाटी जी, सीमा में नाप 37 फीट 6 इंच
उत्तर : 20 फीट चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 33 फीट 9 इंच
दक्षिण : भूमि अन्य, सीमा में नाप 33 फीट 9 इंच

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता ने आज दिनांक 20-08-2022 को अपने पूर्ण देशोद्वास बिना किसी के बहकावे में आये व स्वस्थ दशा में स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अधिकृत व निष्पक्षित किया ताकि समयानुसार काम आये व सनद रहे।

Pramila Negi
हरलाक्षर विक्रेता

[Signature]

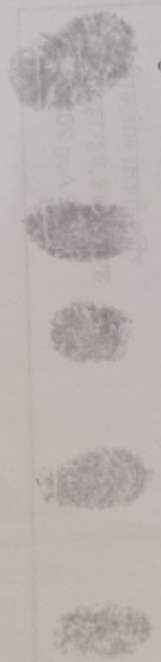
हरलाक्षर क्रेता
द्वारा मुद्रांकन

E-STAMP CERTIFICATE No. IN-UK01348893743070U

राजस्थान अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु किंगड प्रिंट्स
विक्रेता का नाम एवं पता-श्रीमती प्रमिला नेगी पत्नी श्री विनोद कुमार नेगी निवासी
ग्राम बिलंगी, पो 08 फतेहपुर, जिला पीडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
विक्रेता के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



विक्रेता के दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



Signature

Pramila Negi
विक्रेता के हस्ताक्षर

5416
2022

विक्रय पत्र हेतु वांछित विवरण

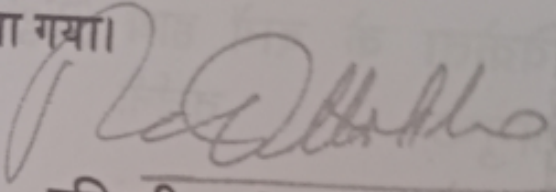
1. मालियत विक्रयपत्र : रु. 15,00,000/-
2. शासकीय मूल्य : रु. 12,29,000/-
3. मालियत मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया : रु. 15,00,000/-
4. स्टाम्प शुल्क : रु. 56,300/-
5. आवास विकास शुल्क : सम्मिलित नहीं है
6. कुल स्टाम्प शुल्क देय : रु. 56,300/-
7. मुख्य क्षेत्र : ग्राम अजबपुरखुर्द, देहरादून।
8. सम्पत्ति : भूमिधारी भूमि खाता सं० 2310 (फसली वर्ष 1416-1421) खसरा नं० 330-क मि० रकबा 1265 वर्गफीट अर्थात् 117 वर्गमीटर स्थित मौजा अजबपुर खुर्द, परगना पछवाडून, जिला देहरादून।
9. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूमि
10. मुख्य मार्ग से दूरी : विक्रीत भूमि मुख्य हरिद्वार बाईपास रोड से एक किलोमीटर एवं अन्य मुख्य मार्गों से 350 मीटर से अधिक दूरी पर ग्राम अजबपुरखुर्द में स्थित है।
11. सर्किल रेट : रु. 10000/- प्रति वर्गमीटर
12. विक्रेता का नाम व पता : श्रीमती प्रमिला नेगी पत्नी श्री विनोद कुमार नेगी निवासी ग्राम बिलंगी, पो० ओ० फतेहपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
PAN-AWGPN0608M
13. क्रेता का नाम व पता : श्रीमती लिपिका गुप्ता (PAN-ADGPG7747R) पत्नी स्व० सत्यनारायण गुप्ता द्वारा मुख्तारैआम अपने पुत्र श्री सिद्धान्त गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता निवासी एफ-1166, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 UID-5738 7105 9480
14. ईस्टाम्प पृष्ठों की संख्या : (IN-UK01348893743070U) 01 पृष्ठ
15. रचयिता : श्री अनिल सेमवाल, एडवोकेट, देहरादून

Pramila Negi

(1)

बही संख्या 1 जिल्द 8,000 के पृष्ठ 85 से 110 पर क्रमांक 5416

पर आज दिनांक 22 Aug 2022 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

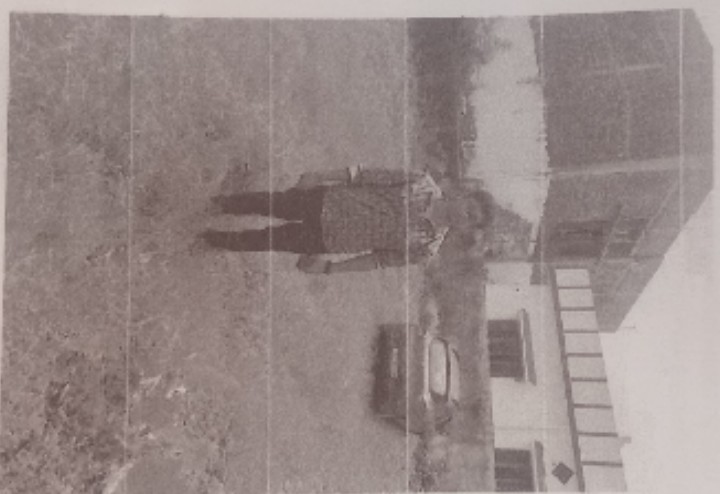

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, द्वितीय
22 Aug 2022

E-STAMP CERTIFICATE No. IN-UK01348893743070U

भूमिधारी भूमि खाला सं० 2310 (कसली वर्ष 1416-1421) खसरा नं० 330-क भि०
रकबा 1285 वर्गफीट अर्थात् 117 वर्गमीटर स्थित मौजा अजबपुर खुर्द, परगना पछवादन,
जिला देहरादून।

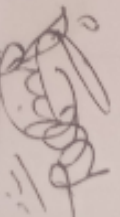
चिकेता - श्रीमती प्रभिला नेगी

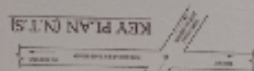
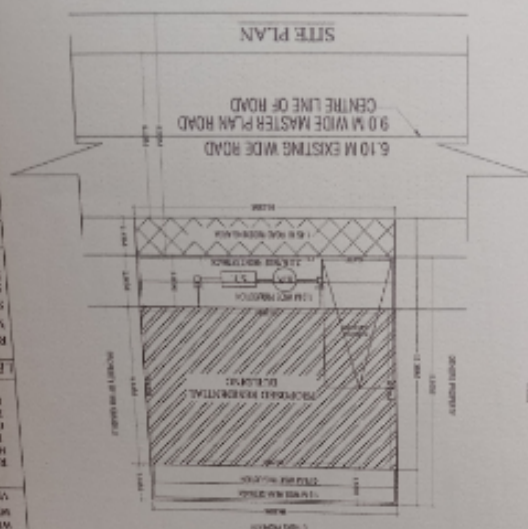
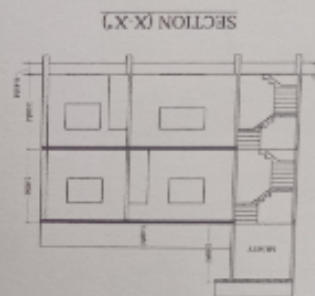
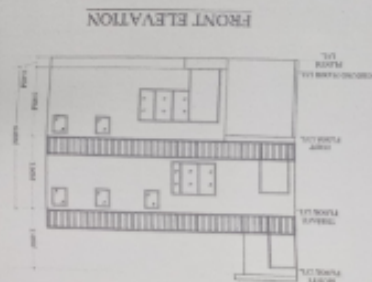
क्रेता - श्रीमती लिपिका गुप्ता द्वारा मुख्तारआम अपने पुत्र श्री सिद्धान्त गुप्ता



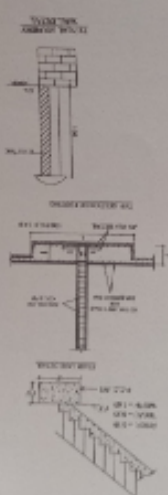
Pramila Negi

हो चिकेता


हो क्रेता
द्वारा मुख्तारआम



30.1734.91N
78.23.07E

[illegible]

AREA STATEMENT
UTTERING
GROUNDS, WACHMOON DEHARAN
NO. 2004, 81 MALAY, AVALAR, KILAU
SAYANAH, GUPA, SUTUAT, AT KILAS
SIBANAH, GUPA, SUTUAT, SIBAN
GUPA, THROUGH, IT'S, ATTORNEY, MR.
LILIA, GUPA, WHO, LATE, SIBAN, SIBANAH
PHOTOGRAPH, RESIDENTIAL, BLUE, POOL, FIVE, PAGES
FOR M.D.A. USE

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते



e-Stamp

₹56,300

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UK01348893743070U

20-Aug-2022 03:22 PM

NONACC (SVY UK1204904/ DEHRADUN/ UK-DH

SUBIN-UKUK120490407845959150494U

LIPIKA GUPTA THRO POA SIDDHANTH GUPTA

Article 23 Conveyance

MAUZA AUAHPUR KHUPD DEHRADUN

15,00,000

(FifteenLakh only)

SMT PRAMILA NEGI

LIPIKA GUPTA THRO POA SIDDHANTH GUPTA

LIPIKA GUPTA THRO POA SIDDHANTH GUPTA

56,300

(Fifty Six Thousand Three Hundred only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

IN-UK01348893743070U

ROHIT KUMAR
Stamp Vendor
Jain Compound, Dehradun



PU 0002982269

FOR M.D.D.A USE

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR MRS.
LIPIKA GUPTA W/O LATE SHRI. SATYANARAIN
GUPTA THROUGH ITS ATTORNEY MR.
SIDDHANT GUPTA S/O LATE SHRI.
SATYANARAIN GUPTA SITUATED AT KHASRA
NO. - 330 KA, AT MAUZA AJABPUR KHURD
PARGANA PAHWADCON DEHRADUN
UTTRAKHAND..

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA AS PER SALE DEED	= 117.00 SQ.MT
TOTAL LAND AREA AS PER SITE	= 117.00 SQ.MT
ROAD WIDENING AREA	= 14.91 SQ.MT
NET PLOT AREA	= 102.09 SQ.MT
G.F.L. COVD. AREA	= 66.31 SQ.MT.
F.F.L. COVD. AREA	= 59.18 SQ.MT.
TOTAL COVD. AREA OF ALL FL.	= 125.29 SQ.MT.
OPEN AREA	= 35.98 SQ.MT.
GROUND COVERAGE	= 64.76%
F.A.R.	= 1.22

PARKING REQUIRED
PARKING PROVIDED:-

DOOR/WIN. SCHEDULE

DOOR	D	1.8 X 2.1
DOOR	D1	0.75 X 2.1
WINDOW	W	1.8 X 1.2
WINDOW	W1	1.05 X 1.2
VENTILATOR	V	0.90 X 0.90

REQUIRED WATER
HARVESTING
FOR 400 SQ.M. = 3.5
C.U.M.
PROPOSED R.W.H. = 3.5
C.U.M.



LEGEND:-

RAIN WATER HARVESTING	R.W.H.
MAN HOLE	M.H.
SOAK PIT	S.P.
SEPTIC TANK	S.T.
RAIN WATER PIPE	R.W.P.

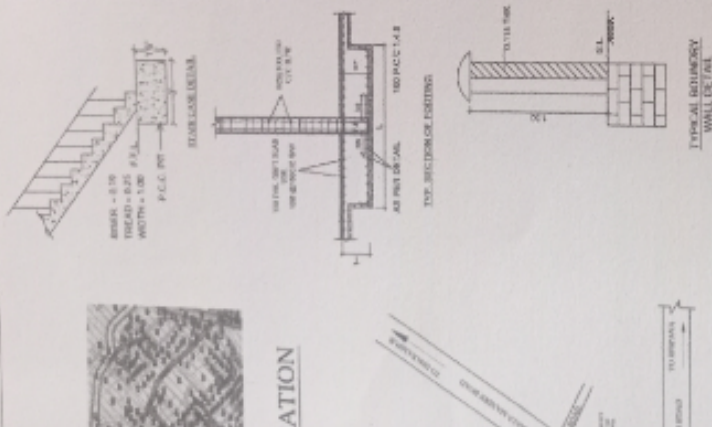
SCALE:-

APPLICANT'S SIGN

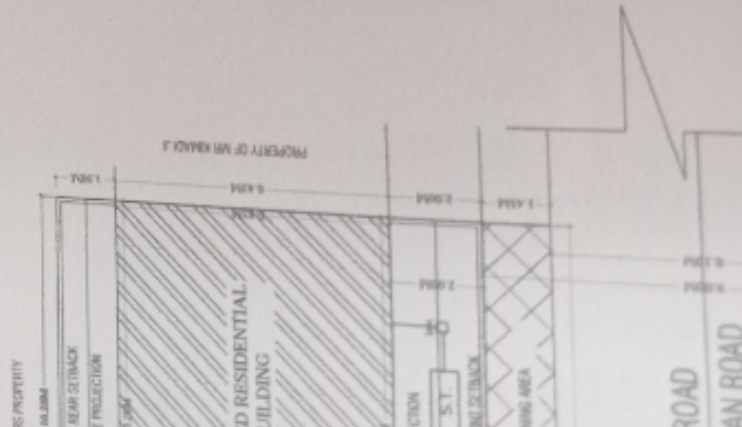
STRUCTURAL ENGINEER'S SIGN

[Signature]

[Signature]
B. SINGH CHAUHAN
P.E. (Structural) (Category B)
Approved Structural Engineer
No. 100/2019-2020
1, 100/2019-2020
1, 100/2019-2020



AN (N.T.S)



विक्रय पत्र

श्रीमती प्रमिला नेगी पत्नी श्री विनोद कुमार नेगी निवासी ग्राम बिलंगी, पो 0 ओ 0 फतेहपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। (कि जिनहे आगे इस विक्रय विलेख में "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)।

विक्रेता

एवं

श्रीमती ललिका गुप्ता पत्नी स्व० सत्यनारायण गुप्ता द्वारा मुख्याश्रम अपने पुत्र श्री सिद्धान्त गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता निवासी एक-1186, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 (कि जिनहें आगे इस विक्रय विलेख में 'क्रेता' कहकर सम्बोधित किया गया है)

क्रेता

विवृत हो कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि की एकमात्र पूर्ण स्वामी, भूजिह्व मालिक व कानूनी है, विक्रित भूमि जिसका कि पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अंत में सूचित सम्पत्ति में दिया गया है, को विक्रेता ने बलरिशे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19-04-2010 भूमि के तत्कालीन स्वामी श्रीमती पूजा नौदियाल पत्नी श्री मुकुंद नौदियाल निवासी लेन नं० 6, पुष्पकूट, मोधरावाला, देहरादून उत्तराखण्ड से क्रय की है, जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम, देहरादून में बही नं०. 1, जिल्द 3286 पृष्ठ 1 से 22 में नं० 3156 दिनांक 19-04-2010 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है, विक्रेता का नाम राजरव अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधारी दर्ज व अधिकत घला आ रहा है। जिसके आधार पर विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने, वसतानाकरण करने, अन्तरण करने आदि आदि के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि क्रेता ने सूची में वर्णित भूमि को क्रय आदि करने के बावत एक पंजीकृत मुख्याश्रम आम दिनांक 17-01-2022 द्वारा मुख्याश्रम अपने पुत्र श्री सिद्धान्त गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता निवासी एक-1186, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 के पक्ष में अधिकत व निष्पादित कर रखा है, जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय वजीराबाद में प्रलेख क्रमांक 828 बही नं० 4 जिल्द 4 पृष्ठ 163.5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सं० 4 जिल्द 111 के पृष्ठ सं० 74 से 78 पर दिनांक 17-01-2022 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है। क्रेता जीवित है तथा क्रेता द्वारा आज की तिथि तक उक्त मुख्याश्रम आम खण्डित नहीं किया गया है, मुख्याश्रम आज भी वैध व प्रभावी है। क्रेता के मुख्याश्रम के द्वारा यह विक्रय विलेख अधिकत व निष्पादित किया जा रहा है।

Pracmida Negi

E-STAMP CERTIFICATE No. IN-UK01348893743070U

यह कि इस विक्रय विलेख के अन्त में दी गई सूची में वर्णित भूमि हर प्रकार के गार, अधिगार, बचान, बन्धक, ज़ाण, आज़ाद, कुर्सी, वार-विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से पूर्णतः मुक्त है तथा विक्रेता को विक्रीत भूमि को हर प्रकार से प्रयोग उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तर्गत एवं हस्तांतरित आदि करने का अधिकार प्राप्त है। सूची में वर्णित भूमि विक्रय किये जाने में कोई विधिक अड़बट नहीं है।

यह कि विक्रेता इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि क्रेता को मु० 15,00,000 /- (पन्ध्र लाख रुपये मात्र) की एवज में विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेता भी इसी कीमत में सूचि में वर्णित भूमि क्रय करने को सहमत है, इस कारण यह विक्रय विलेख अकिन्त किया जा रहा है।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न साक्ष्यकित करता है:-

1. यह कि विक्रेता ने इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार, सुखधिकार जिनमें धरा, पानी, चरगा, नाली आदि के अधिकार सम्मिलित है तथा यह अधिकार जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त है तथा वह अधिकार जो विक्रेता को भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं, सहित स्वामी रूप से सर्वेय हेतु क्रेता को मु० 15,00,000 /- (पन्ध्र लाख रुपये मात्र) की एवज में विक्रीत, अन्तर्गत, हस्तांतरित कर दी है तथा सूची में वर्णित भूमि से अपना कब्जा हटाकर व उदाहर क्रेता को अपने समस्त सूची में वर्णित भूमि पर बतौर मालिक, स्वामी, कानिज व अध्यासित करा दिया है।

2. यह कि क्रेता ने उपरोक्त वर्णित इकाय के अन्तर्गत विक्रेता को विक्रय प्रमाणित मु० 15,00,000 /- (पन्ध्र लाख रुपये मात्र) निम्नानुसार भुगतान कर दिये हैं-

क-मु० 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) द्वारा चेक सं० 000015 दिनांकित 02-08-2022 वारते आईडीएफसी0 फस्ट बैंक, नई दिल्ली।

ख-मु० 13,50,000 /- (तेरह लाख पचास हजार रुपये मात्र) द्वारा RTGS- IDFBRS2022082000641100 dt. 20-08-2022

जिसकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता उप निबन्धक, देहरादून के सम्मक्ष स्वीकार करती है।

3. यह कि आज से विक्रेता का सूची में वर्णित भूमि पर कोई इक व अधिकार नहीं रह गया है। आज से क्रेता सूची में वर्णित भूमि को मालिक, स्वामी, कानिज, अध्यासी हो गयी है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित भूमि का वित्त प्रकार चाहे प्रयोग करे, उपयोग करे, उपभोग करे, जल संयोग, विद्युत संयोग, सीवर संयोग, दूरभाष संयोग प्राप्त करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, भवन निर्माण करे, अन्य किसी व्यक्ति को विक्रीत, अन्तर्गत, हस्तांतरित करे, इसमें विक्रेता किसी प्रकार का आवलति करने की अधिकारी नहीं होगी।

4. यह कि सूची में वर्णित भूमि के बावत आज तक जो भी देय आदि वाजिब होंगे उनकी भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। आज के पश्चात भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

E-STAMP CERTIFICATE No.IN-UK01348893743070U

मानचित्र भूमिधरी भूमि खाता सं० 2310 (फसली वर्ष 1416-1421) खसरा नं० 330-क मि० रकबा 1265 वर्गफीट अर्थात् 117 वर्गमीटर स्थित मौजा अजबपुर खुर्द, परगना पछवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता - श्रीमती प्रमिला नेगी

क्रेता - श्रीमती लिपिका गुप्ता द्वारा मुख्तारेआम अपने पुत्र श्री सिद्धान्त गुप्ता

विक्रीत भाग को लाल रंग की रेखाओं से घिरा दर्शाया गया है। NOT TO SCALE

N



20 फीट चौड़ी सड़क

33 फीट 9 इंच

भूमि श्री किमती जी

37 फीट 6 इंच

37 फीट 6 इंच

भूमि अन्य

33 फीट 9 इंच

भूमि अन्य

Pramila Negi

ह० विक्रेता

ह० क्रेता
द्वारा मुख्तारेआम

A model of end user work...

2000

ANGENIOSOM

572871059400

012001100200

ADHAAAR:

916108200086

DL:

April Settlement Adv.

1917



Mussorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,
Near ISBT, Dehradun-248001
(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100
Fax : +91 135 6603103
Email : info@mddaonline.in
Website : www.mddaonline.in

Sanction Letter

Map No R-3699/22-23
Sector Sector 1

Date 08/12/2022

To,

siddharth gupta
F-1166 CHITTARANJAN PARK, KALKALI, AAU, SOUTH DELHI
Dehradun-248001

Your application dated 2022-11-21 17:47:41 regarding construction (with enclosed map) proposed by you situated at mauza ajalpur Khurd, Dehradun-248001 has been accepted with the following term and conditions.

1. The road service lane or the government land shall not be used for putting any building construction material and the arrangement of sewage shall be done by self.
2. If there is any tree in construction area before cutting it, approval must be taken.
3. The approval of the map will not be considered as ownership of the map and in any court this map will not be considered as proof of land ownership.
4. In summer season, keeping in view the drinking water scarcity, between 15th April to 30th June, the construction will not be done.
5. In case if there is change in name of the building owner in the approved map or renaming the building, it is mandatory to inform the authority.
6. In road widening area if there is any violation of boundary wall, gate or public land, the approval will stand cancelled automatically.
7. If the approval is for "Commercial Establishment" in the Residential Land Use then the applicant must not construct use the building for any of the following usage:- "Wedding points (Baraat Ghar), Restaurant, Auditorium, Rain Basera (Night Shelter), Petrol/Diesel filling station, Motor Vehicle Workshop/Garage, Domestic Industry & Service Industry and LPG Gas Agency". If any violation is found then this approval will stand cancelled.
8. For any development work in future, if development charges are asked, shall be payable without any objection. If required, additional development charges for any project development work in the same area shall be paid without any objection, so that the development work of the area could be done from the development charges received from the same area.
9. The Map will be used for the same purpose for which it has been approved, if there is any deviation in purpose, the whole construction will be considered invalid.
10. During the building construction, earthquake and other security measures must be considered.
11. After getting the approval if the court cancels the ownership of the applicant the approval will stand cancelled automatically.
12. After getting the approval, at any point of time if the Vice Chairman or any other authorized person finds out the approval has been taken by hiding the facts or by submitting the forged documents the officer will have right to cancel the approval and in that case the construction under the map will stand cancelled.
13. Hill cutting will not be done from any hilly terrain.

भारत विमान
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

PRAMILA NEGI

SHIVRATTAN SINGH NEGI

24/01/1973

Permanent Account Number

AWGPN0608M

Signature

Pratibha Negi
Pratibha Negi



05082014

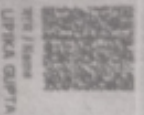
आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

राज्यीय सेवा कर्म
Permanent Account Number Card

ADGP07747R



विवरण / Name
UTPRA GUPTA

CHITRANJAN SINGH

विवरण की प्रतिलिपि / Copy of the
02/02/1963

Chitranshu Singh
Chitranshu Singh

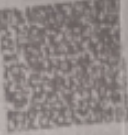


भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



विवरण
Shivratna Singh Negi
जन तिथि DOB: 27/02/1992
पुरुष / MALE

5738 7105 9480



अवधार - आत्म आदमी का अधिकार

Shivratna Singh Negi

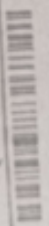


राज्यीय, विनिर्दिष्ट/संयोजित प्रमाणिकता
विवरण / Permanent Account Number Card

Address

ए-116, शिवराज पार्क, बंगलौर,
CHITRANJAN PARK,
KALKATI, Ash, South
Delhi, 110019
Delhi - 110019

5738 7105 9480



विवरण / Permanent Account Number Card
02/02/1963



Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,
Near ISBT, Dehradun-248001
(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100
Fax : +91 135 6603103
Email : info@mdaonline.in
Website : www.mdaonline.in

14. By approval of this map, the rights and ownership of any government department or local body or any individual in the government department is not affected.
15. One approved copy of the map shall always be kept at the construction site so that it can be investigated at any time. The construction will be done as per the approved map specifications and the applicant shall be responsible for ownership of the building.
16. The government or the local body will not be responsible for any development work in the area which is not suitable for the development work.
17. This map is valid for five years from the date of approval, after that no construction work will be done.
18. After the completion of the construction work, within 3 months of the completion according to the approved map, certificate should be obtained from the authority then only the building should be used else the approval will be cancelled.
19. During the construction, the covering of the construction site with green net having covered area 1000 sq.m. or more shall be done by the applicant.
20. If there is any violation on ceiling land, government land or public land, this approval will stand cancelled automatically.
21. 2 trees must be planted in the front portion of the building.

